रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-03042025-262262 CG-DL-E-03042025-262262

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1586]

No. 1586]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 3, 2025/चैत्र 13, 1947 NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 3, 2025/CHAITRA 13, 1947

वित्त मंत्रलाय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2025

सं. 26/2025

का.आ. 1605(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139कक की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति, जिसे 1 अक्तूबर 2024 से पूर्व फाइल किए गए आधार आवेदन प्ररूप के नामांकन आईडी के आधार पर स्थायी खाता संख्या आबंटित किया गया है, अपना आधार संख्यांक प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या उक्त प्राधिकारियों द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को, 31 दिसम्बर, 2025 को या उससे पूर्व या ऐसी तारीख को जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा इस निमित्त विहित किया जाए, सूचित करेगा।

[फा. सं. 370142/1/2025-टीपीएल]

सुरबेन्दु ठाकुर, अवर सचिव, कर नीती और विधान खंड

2360 GI/2025 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April, 2025

No. 26/2025

S.O. 1605(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 139AA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that every person who has been allotted permanent account number on the basis of Enrolment ID of Aadhaar application form filed prior to the 1st day of October, 2024, shall intimate his Aadhaar number to the Principal Director General of Incometax (Systems) or Director General of Incometax (Systems) or the person authorised by the said authorities on or before the 31st day of December, 2025 or such date as may be specified by the Central Board of Direct Taxes in this behalf.

[F. No. 370142/1/2025-TPL]

SURBENDU THAKUR, Under Secy., Tax Policy & Legislation Division